कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

10 तेंदुए के अवैध शिकार एवं तस्करी मामले में 02 और आरोपी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ति (58/26, दिनांक 25.08.2026)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार अंतर्राज्यीय शिकार एवं तस्करी गिरोह के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) मध्यप्रदेश द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

विगत माह में प्रकाश में आये 10 तेन्दुऐं के शिकार के प्रकरण की विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में एक संगठित गिरोह के लिप्त होने के साक्ष्य मिले है। इसमें जिला मुरैना निवासी 02 और फरार आरोपियों को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई शिवपुरी के द्वारा दिनांक 24.08.2026 को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय, शिवपुरी में प्रस्तुत कर फॉरेस्ट रिमाण्ड पर लेकर पूछताछ की गई एवं घटना स्थल की शिनाख्ती कराकर 03 नग Leg Hold Trap एवं 01 नग चाकू की और जप्ती की गई। आज दिनांक तक कुल **14 आरोपी जो कि तीन अलग-अलग राज्यों हरियाणा, मध्यप्रदेश एवं दिल्ली के निवासी है** उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके पास से वन्यजीव तेन्दुऐं के अवयव भी भारी मात्रा में जप्त हुए है तथा शिकार में प्रयुक्त कुल **06 नग Leg Hold Trap** एवं 01 नग चाकू भी जप्त किये गये है। इस प्रकरण में दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन के सह संस्थापक की भूमिका प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध पाई गई है। उनको विवेचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर विवेचना में सहयोग करने हेतु 02 बार समन्स भेजा जा चुका है, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए। अत: अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उन्हें **दिनांक 29.08.2026** को शिवपुरी (मप्र) कार्यालय में उपस्थित होने हेतु तृतीय समन्स भेजा गया है।

यह प्रकरण मध्यप्रदेश शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योकि इसमें लिप्त गिरोह द्वारा 10 तेन्दुओं का शिकार जिला श्योपुर व मुरैना में किया गया है जो अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र "चीता लैण्डस्कैप" के अंतर्गत आता है। प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल